

2012/00033

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर  
बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 64/2012

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बचु खां पुत्र इब्राहीम 2. बली खां पुत्र नेकु खा 3. हनीफ खां पुत्र नेकू खां सभी जातियान मुसलमान निवासीगण- बापीणी, तहसील फलौदी		1. तहसीलदार फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

पस्थिति :-

1. सिकन्द घोषी अधिवक्ता वादीगण
2. सरकारी पैरोकार

निर्णय

दिनांक:- 27.01.2012

दीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा सारा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर न वादीगण के पूर्वजो का 160 वर्ष से कब्जा एवं काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीगण वास करते हैं जिसमें हमारी ढाणी एवं टांके व पशुओं के बाडे बने हुवे हैं। वक्त सेटलमेंट, टलमेंट अधिकारियों द्वारा हमारों काश्त के खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर मृत औरत मरीमों बेवा गैर अली के नाम भूलवंश दर्ज कर दी।

म बापीणी के खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

स घोषणा के माफिक राजस्व रेकर्ड में मृत मुसमात मरीमों के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावें। खसरा संख्या ,214 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रहन रखना इन्द्राज किया गया है उक्त इन्द्राज को दुरुस्त कर रहनदारो के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की उपरोक्त भूमि पर मृत दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 27.01.2012 को निष्पादित हकतर्कनामा एवं शुद्धिपत्र को वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावें। तथा स्थिति

अधिवक्ता फलौदी

नेपेधाज्ञा वहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की जारी फरमाई जावे की वादीगण की कब्जा काशत भूमि पर किसी प्रकार की रद्दोबदल नही करें तथा न ही किसी प्रकार से बेदखल करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम वापिणी तहसील फलींदी के खेत खसरा संख्या 14 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काशत है जो कि लवंश से मरीमा वेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। ग्राम वापिणी के खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/2 हिस्सा भूमि पर वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, वाद अवलोकन पाया की वादीगण का वाद मुख्य रूप से खसरा नम्बर 214 ग्राम वापिणी की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों को घोषणा करवाने का है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त एवं उससे पूर्व वादीगण के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज हो। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैरोंकार सरकार ने राजस्व मण्डल अजमेर को डबल बेंच के निर्णय भगवान व अन्य बनाम प्रभूदयाल के कायम मूकाम व अन्य आर आर (2018) का निर्णय पेश किया है। जिसमें मंडल की डबल बेंच ने स्पष्ट निर्णय पेश किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिकी नही किया जा सकता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन पश्चात वादी का दावा दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित नहीं होने एवं मंडल के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में खारिज योग्य है।

#### आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, खारिज का डिकी पर्चा अलग से मूर्तिव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकन नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया है।

यशपाल आहूज (आर. ए. एस.)

सहायक क्लर्क  
अधिवक्ता कलकत्ता  
बचोदी (जोगपुर)

## डिगरी बमुकदमें इब्तादाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण

प्रतिवादी

1. बचु खां पुत्र इब्राहीम
  2. बली खां पुत्र नेकु खा
  3. हनीफ खां पुत्र नेकू खां
- सभी जातियान मुसलमान  
निवासीगण- बापीणी, तहसील  
फलौदी

1. तहसीलदार फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 64/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री सिकन्द घोषी अधिवक्ता मिनजानिब व श्री पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

मुतालिक

बाबत


खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसबत मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 14 को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

  
सहायक कलक्टर  
फलौदी (बोबपुर्च)

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	-	-

नोट- इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

